[2023] 1 एस. सी. आर. 501 501

बिमला तिवारी

बनाम्

बिहार राज्य और अन्य

(विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 834-835/2023)

16 जनवरी, 2023

[दिनेश महेश्वरी और हृषिकेश राय, न्यायमूर्ति गण]

जमानत-गिरफ्तारी-पूर्व जमानत और नियमित जमानत-प्रतिफल अनुदान–अभिनिर्धारित आपराधिक कानून की प्रक्रिया का उपयोग बल प्रयोग और धन की वसूली के लिए नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध करते समय-यह सवाल कि किसी दिए गए मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत या उस मामले के लिए नियमित जमानत दी जानी है या नहीं, इसकी जांच करने की आवश्यकता है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और जमानत संबंधी विचारों को नियंत्रित करने वाले मापदंडों के संदर्भ में न्यायालय द्वारा विवेक के प्रयोग किए जाने की आवश्यकता है। किसी मामले में, पूर्व-गिरफ्तारी जमानत या नियमित जमानत की रियायत को अस्वीकार किया जा सकता है, भले ही आरोपी ने विवादित पैसे का भुगतान कर दिया हो या कोई भुगतान करने का प्रस्ताव दिया हो-इसके विपरीत, किसी मामले में, पूर्व-गिरफ्तारी जमानत या नियमित जमानत की रियायत किसी भी भुगतान या भुगतान के किसी भी प्रस्ताव के बावजूद दी जा सकती है-आम तौर पर, ऐसा कोई रास्ता अपनाने में कोई औचित्य नहीं है कि पूर्व-गिरफ्तारी जमानत की रियायत दिए जाने के उद्देश्य से, गिरफ्तारी की आशंका रखने वाले व्यक्ति को भुगतान करना चाहिए पैसे की वसूली अनिवार्य रूप से दीवानी कार्यवाही के दायरे में है-आपराधिक कानून।

गैर सामान्य क्षेत्राधिकारः विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 834-835/2023

आपराधिक संख्या 15/25 और 19515/2022 में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 14.11.2022 से

शौर्य सहाय, याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

1. विशेष अनुमति के लिए याचिका दायर करने की अनुमति दी जाती है।

2. इन याचिकाओं के माध्यम से, याचिकाकर्ता/सूचक में पटना उच्च् न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध संख्या 15125/22 में पारित 14.11.2022 के आदेश पर सवाल उठाना चाहता जिसके द्वाराउच्च न्यायालय ने आरोपी-प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा याचिकाकर्ता/ सूचक को 75,000/- (पचहत्तर हजार) रुपये की राशि का भुगतान करने के प्रस्ताव पर ध्यान दिया और, इस तरह के प्रस्ताव पर विचार करते हुए और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 406 और 420 और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत अपराधों से संबंधित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और प्रस्तुत भुगतान के कारण, प्रत्यर्थियों को गिरफ्तारी-पूर्व जमानत की छूट प्रदान की।

3. आरोप था कि सूचक की बेटी का विवाह प्रत्यर्थी नं. २ के पुत्र के साथ तय हआ था और सगाई अनुष्ठानों में, अन्य बातों के अलावा, सूचक के पति ने उत्तरदाताओं को 6,00,000/- रुपये (छह लाख रुपये) की नकद राशि दी।याचिकाकर्ता-सूचक के अनुसार, इसके बाद, प्रत्यर्थियों ने और पैसे और वाहन की मांग की और, इस तरह की मांग को अनुचित पाए जाने पर, विवाह को रद्द कर दिया गया, लेकिन प्रत्यर्थियों ने पैसे और सामान वापस नहीं किए।

4. इससे पहले की गई प्रस्तुतियों से यह प्रतीत होता है कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-IV, पटना के न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी के पूर्व जमानत के लिए प्रत्यर्थियों की प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई थी और फिर, दुबारा भी गिरफ्तारी के पूर्व जमानत की मांग को जो 2019 की संख्या 5967 द्वारा की गई थी जो उच्च न्यायालय में दायर की गयी, उसे भी

02.04.2019 को खारिज कर दी गई थी।आगे यह भी प्रतीत होता है कि अनुसंधान की रिपोर्ट के बाद, निचली अदालत को 14.09.2020 के अपने आदेश में आरोपियों के खिलाफ अपराधों का संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त सामग्री मिली।इसके बाद, प्रत्यर्थियों ने गिरफ्तारी के पूर्व जमानत के लिए एक और अनुरोध किया, जिसे 21.12.2021 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-IV, पटना की अदालत ने फिर से अस्वीकार कर दिया।इसलिए, प्रत्यर्थियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उनकी याचिकाओं पर एक साथ विचार किया गया और 14.11.2022 के सामान्य आदेश द्वारा निर्णय लिया गया, जिसे सूचक द्वारा इन याचिकाओं में सवाल के रुप में उठाये जाने की मांग की गई है।

5. गिरफ्तारी-पूर्व जमानत की मांग करते समय उच्च न्यायालय के समक्ष एक निवेदन यह था कि एक अभियुक्त विजया मालवीय को उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध मामला संख्या 32384/2021 में दिनांक 10.03.2022 को पारित अपने आदेश में गिरफ्तारी पूर्व जमानत प्रदान की गई थी,यह विचार करने और जानने के बाद कि इस मामले में शामिल धन को बैंक ड्राफ्ट द्वारा सूचक के पक्ष में 6,00,000/- (छह लाख) रुपये की राशि द्वारा वापस कर दिया गया था, जो उसके वकील को सौंप दिया गया था।

6. तथापि, राज्य और सूचक द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ जमानत का इस आधार पर विरोध किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ('सीआरपीसी') की धारा 82 और 83 के अधीन प्रक्रियाएं पहले ही जारी की जा चुकी हैं और सगाई समारोह में खर्च किया गया धन वापस नहीं किया गया है।इसके बाद, इसमें प्रत्यर्थी संख्या २ की ओर से यह प्रस्ताव किया गया कि वह छह सप्ताह के भीतर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ७५, ०००/- (पचहत्तर हजार) रुपये की एक और राशि का भुगतान करेगा और इस तरह की प्रस्तुति को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने पेशकश किए गए भुगतान के अधीन रहते हुए, गिरफ्तारी-पूर्व जमानत की रियायत प्रदान की।

7. उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार पारित आदेश को चुनौती देते हुए, वर्तमान याचिकाओं के समर्थन में कई आधारों पर आग्रह किया जाता है, जिसमें यह भी शामिल है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत प्रक्रिया जारी करने के बाद, गिरफ्तारी-पूर्व जमानत

के लिए प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था और यह स्पष्ट रूप से धन की अवैध मांग के साथ-साथ सूचक के साथ धोखाधड़ी का एक मामला था।

8. पूरे मामले की जांच करने के पश्चात्, हम न केवल इन याचिकाओं को खारिज करने और निजी प्रत्यर्थियों को गिरफ्तारी-पूर्व जमानत मंजूर करने के आक्षेपित आदेश की पुष्टि करते हैं बल्कि सूचनादाता को 75,000/- (पचहत्तर हजार) रुपए की राशि के भुगतान की आवश्यकता को भी रद्द करना चाहते हैं।

9. हमने एक से अधिक अवसरों पर यह इंगित किया है कि आपराधिक विधि की प्रक्रिया, विशेष रूप से जमानत मंजूर करने के मामलों में, धन वसूली कार्यवाहियों के समान नहीं है किंतु वर्तमान मामले में जो देखा गया है उसकी अपनी विचित्रताएँ हैं।

10. हम यह दोहराना चाहेंगे कि आपराधिक विधि की प्रक्रिया का उपयोग दंडित करने और धन वसूली के लिए, विशेष रूप से जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध करते समय नहीं किया जा सकता है। प्रश्न यह है कि क्या गिरफ्तारी पूर्व जमानत, या उस मामले में नियमित जमानत मंजूर की जानी है या नहीं, की जांच किए जाने की आवश्यकता है और न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर सामग्री और जमानत संबंधी विचारणों को प्रभावित करने वाले मापदंडों के संदर्भ में विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाना अपेक्षित है।दूसरे शब्दों में, इस मामले में, गिरफ्तारी-पूर्व जमानत या नियमित जमानत की रियायत से इनकार किया जा सकता है, भले ही अभियुक्त ने कथित धन का भुगतान किया हो या कोई भुगतान करने की पेशकश की हो।

11. हम आगे इस बात पर बल देंगे कि, साधारणतया, ऐसा कोई प्रक्रिया अपनाने का कोई औचित्य नहीं है कि गिरफ्तारी-पूर्व जमानत की रियायत दिए जाने के प्रयोजन के लिए, गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति को भुगतान करना चाहिए।धन की वसूली अनिवार्य रूप से दीवानी कार्यवाहियों के दायरे में होती है।

12. इसके अलावा, यह देखा गया है कि इस मामले में सह-अभियुक्त द्वारा वर्तमान याचिकाकर्ता (मुखबिर) को 6,00,000/- रुपये (छह लाख रुपये) की राशि के भुगतान का तथ्य उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और निम्नलिखित शब्दों में 14.11.2022 के आक्षेपित आदेश में इस बात को ध्यान में रखा गयाः

> “यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक अभियुक्त विजय-जय मालवीय को इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ द्वारा आपराधिक विविध संख्या 32384/2021 में दिनांक 10.03.2022 के आदेश द्वारा जमानत दी गई थी,यह देखते हुए कि सूचना देने वाली बिमला तिवारी के पक्ष में छह लाख रुपये का बैंक ड्राफ्ट सूचना देने वाले के वकील को सौंपा गया था।इस प्रकार, पैसे पहले ही सूचक को वापस कर दिए गए हैं।"

13. इस प्रकार, उपर्युक्त आदेश दिनांक 10.03.2022 को जारी किया गया, जिसमें निम्नलिखित को दर्ज किया गया। रु. ६, ००, ०००/- (छह लाख) की राशि के कथित भुगतान स्पष्ट रूप से मामले से संबंधित एक सामग्री है, लेकिन, वर्तमान याचिकाएं दाखिल करते समय, याची द्वारा सह-अभियुक्त से रु. ६, ००, ०००/- (छह लाख) की कथित राशि प्राप्त करने और १०. ०३. २०२२ दिनांकित आदेश के बारे में उसकी प्रति अभिलेख पर नहीं रखी गई है.

14. हमने उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध दिनांक 10.03.2022 के कथित आदेश पर ध्यान दिया है और यह जानना काफी पेचीदा है कि न केवल सह-आरोपी द्वारा वर्तमान याचिकाकर्ता को 6,00,000/- (छह लाख) रुपये की कथित राशि का भुगतान किया गया था, बल्कि, वर्तमान याचिकाकर्ता ने वास्तव में प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान बैंक ड्राफ्ट प्राप्त किया।दिनांक 10.03.2022 के उक्त आदेश का संपूर्ण भाग इस प्रकार हैः

> “याचिकाकर्ता के विद्वत वकील को सुना, सूचक के विद्वान वकील को सुना और राज्य के विद्वान ए.पी.पी. को सुना।
>
> याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 406 और डी. पी. अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज एक मामले में उसकी गिरफ्तारी की आशंका है।
>
> मूल आरोप दहेज की मांग पूरी न करने के लिए यातना देने का है।

यह याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता को इस मामले में झूठा फंसाया गया है।वह आगे प्रस्तुत करता है कि 600,000/- रुपये (छह लाख रुपये) का दिनांक 28.02.2022 का बैंक ड्राफ्ट जिसकी संख्या 283114 है, को सूचक (बिमला तिवारी) के पक्ष में विद्वान अधिवक्ता को सौंपा जा रहा है।

सूचना दाता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और मामले की सुनवाई के दौरान पूर्वोक्त बैंक ड्राफ्ट प्राप्त किया है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर निचली अदालत के समक्ष अपनी गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण की स्थिति में उपरोक्त नाम वाले याचिकाकर्ता को 10,000/- रुपये (दस हजार) के अग्रिम जमानत बौंड पर जारी किया जाए, जिसमें सीआरपीसी की धारा 438 (2) के तहत निर्धारित शर्तों के अधीन जक्कनपुर वाद संख्या 346 के संबंध में पटना सदर, पटना के विद्वान अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के सत्यापन के लिए समान राशि की दो प्रतिभूतियों के साथ जारी किया जाए।"

15. इस प्रकार, यह देखा गया है कि इन आपराधिक कार्यवाहियों को केवल धन वसूली की कार्यवाही के रूप में चलाया जा रहा है।हमने 10.03.2022 के उपरोक्त आदेश के संबंध में भी आपत्तियां व्यक्त की हैं, जिसमें उच्च न्यायालय ने सह-अभियुक्त द्वारा 6,00,000/- रुपये (छह लाख रुपये) की राशि का भुगतान करने और मुखबिर (वर्तमान याचिकाकर्ता) द्वारा इसे स्वीकार करने के प्रस्ताव पर कार्यवाही की है.तथापि, चूंकि उक्त आदेश हमारे समक्ष नहीं है, इसलिए हम इस संबंध में कोई निदेश देने से बचेंगे और अन्यथा, हमारे विचार में, भुगतान के संदर्भ में जमानत देने के प्रस्ताव पर उक्त आदेश की भी अपनी कमियां हैं।

16. यहां तक कि जब हम अपने समक्ष आदेश के नहीं होने के लिए दिनांक 10.03.2022 के कथित आदेश में शर्त को संशोधित नहीं कर रहे हैं, जहां तक 14.11.2022 के आक्षेपित आदेश का संबंध है, तो हमारे विचार में, यह न्याय के हित में

होगा कि अभियुक्त-प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा 75,000/- (पचहत्तर हजार) रुपये की राशि के भुगतान की आवश्यकता को रद्द कर दिया जाए।इसलिए, प्रत्यर्थियों को गिरफ्तारी-पूर्व जमानत देने वाले आदेश की पुष्टि की जाती है, लेकिन, प्रत्यर्थी संख्या २ द्वारा ७५, ०००/- (पचहत्तर हजार) के भुगतान की शर्त को रद्द कर दिया जाता है।

17. पूर्वगामी प्रेक्षणों और अपेक्षाओं के अधीन ये याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

18. सभी लंबित आवेदनों का निपटारा हो जाता है।

(दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति)

(हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति)

नई दिल्ली

16 जनवरी, 2023

खण्डन (डिस्क्लेमर) :– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।

मद संख्या 33 न्याय कक्ष संख्या 6 खंड II-A

भारत का उच्चतम न्यायालय

कार्यवाही का अभिलेख

विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) डायरी संख्या 41186/2022

(पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीआरएलएमएन संख्या 19515/2022 में सीआरएलएमएन संख्या 15125/2022 में दिनांक 14-11-2022 के आक्षेपित अंतिम निर्णय और आदेश से उत्पन्न)

बिमला तिवारी याचिकाकर्ता

बनाम्

बिहार राज्य और अन्य प्रत्यर्थी

(स्वीकृति और आई.आर. के लिए और आईए नं. 1703/2023-आक्षेपित निर्णय के सी./सी. दाखिल करने से छूट और आईए नं. 1704/2023-फाइल करने के लिए अनुमति (एसएलपी/टीपी/डब्ल्यूपी/...)

तिथि:16-01-2023 इन याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई।

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति दीनेश महेश्वरी

माननीय न्यायमूर्ति श्री न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय

याचिकाकर्ताओं के लिए श्री शौर्य सहाय, एओआर

प्रत्यर्थी के लिए

अधिवक्ता को सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया।

विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने की अनुमति दी जाती है। विशेष अनुमति याचिकाओं को हस्ताक्षरित रिपोर्ट योग्य आदेश के संदर्भ में खारिज कर दिया जाता है।

सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाएगा।

(अर्जुन बिष्ट) (रंजना शैले)

कोर्ट मास्टर (एसएच) कोर्ट मास्टर (एनएसएच)

(हस्ताक्षरित रिपोर्ट योग्य ऑर्डर फाइल पर रखा गया है)